

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा:- वित्त विभाग।

पटना, दिनांक-11/06/2026

विषय:- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में बजट उपबंध में प्राप्त सहायक अनुदान-वेतन मद की राशि रु० 11,00,00,000/- (रुपये ग्यारह करोड़) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में रु० 3,63,00,000/- (रुपये तीन करोड़ तिरेसठ लाख) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-562(1), दिनांक-28.07.2022 द्वारा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 (बिहार अधिनियम 19, 2021, दिनांक-09.08.2021) के आलोक में राज्य में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित एवं नियमित करने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय पटना में अवस्थित है तथा इस विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य है। इस विश्वविद्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन के वहन करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। विश्वविद्यालय में कुलपति सहित पदाधिकारी एवं कर्मियों को नियुक्त किया गया है। उक्त परिस्थिति में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में बजट उपबंध में प्राप्त सहायक अनुदान-वेतन मद की राशि रु० 11,00,00,000/- (रुपये ग्यारह करोड़) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में रु० 3,63,00,000/- (रुपये तीन करोड़ तिरेसठ लाख) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(2) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017, 4443/वि०, दिनांक-14.06.2018 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

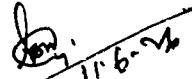
(3) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-0029-बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विपत्र कोड-20-2202031020029 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0029-31-04 सहायक अनुदान-वेतन अन्तर्गत बजट उपबंध से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

(4) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना एक स्वशासी संस्थान है अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(5) अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से वित्त पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को उपलब्ध कराएँगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA033 विपत्र कोड-00-8448001100026-0001 के अन्तर्गत ledger ID-18793 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

- (6) इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
- (7) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना प्राप्त राशि का अंकेक्षण ससमय पूर्ण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग के माध्यम से महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित करेगी।
- (8) विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० न० एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 15वी तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- (9) प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सशर्त सहमति निम्नवत् प्राप्त है:-
- (क) 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित लंबित सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र का वर्षवार समायोजन महालेखाकार कार्यालय से अगले 02 माहों के अंदर कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (ख) राशि के व्यय के पूर्व संबंधित कर्मियों के वेतनादि एवं पेंशनादि का भुगतान पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।
- (ग) राशि की निकासी एवं व्यय समय-समय पर निर्गत वित्त विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
- (11) इसमें महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक-7/बजट-46-19/2022- 851 (78) /स्वा0, पटना, दिनांक-11/06/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

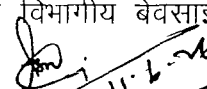
प्रतिलिपि:-कुल सचिव/वित्त पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-7बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव